राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

## कार्यालय सदस्यं राज्य परिवहन प्राधिकार

प्रस्ताव संख्याः एसटीए–03 / 2015 जयपुर, दिनांकः 02.09.2015

विषयः– मॉडल कंडीशन एवं अन्य शर्तो का निर्धारण।

राज्य के अधिसूचित मार्गों पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वाहनों के अतिरिक्त निजी संचालकों की वाहनों का संचालन भी अनुज्ञात किए जाने के कारण निगम की वाहनों तथा निजी वाहनों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं जनहित की दृष्टि से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गयी है कि अधिसूचित मार्गो पर निजी वाहनों की मॉडल एवं अन्य शर्ते निर्धारित की जाए।

जन हित के दृष्टिगत राज्य परिवहन प्राधिकार राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.10 के प्रावधानों एवं राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प 6(261)परि / टैक्स / मु. 2004 / 9315–28 (एस. ओ. 35) दिनांक 29.05.2015 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचित मार्गों पर संचालन हेतु निजी स्टैज कैरिज वाहनों के अनुज्ञापत्रों के संबंध में वाहन की मॉडल एवं अन्य शर्तें निम्नानुसार निर्धारित करती है :–

1. अधिसूचित मार्गो पर अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु वाहन दो कलेण्डर वर्ष से अधिक पुराना निर्मित नहीं होगा एवं परमिट वाहन की पंजीयन दिनांक से 5 वर्ष पूर्ण होने की दिनांक तक ही प्रभावशील रहेगा जब तक कि निर्धारित शर्तो के अनुरूप अन्य वाहन से प्रतिस्थापन नहीं कर लिया जाए।
2. किन्हीं भी कारणों से प्रतिस्थापित की जाने वाली वाहन उसी वर्ष में निर्मित एवं पंजीकृत होगी एवं प्रतिस्थापित होने वाली बस के समान या उच्च विशिष्टताओं (Specifications) वाली होंगी।
3. अधिसूचित मार्गो पर संचालित होने वाली निजी स्टेज कैरिज बस का रंग संयोजन निम्नानुसार होगाः–
   (i) बस की बॉडी का रंग ऑफ व्हाईट होगा जिस पर गहरे लाल (महरून) रंग की पट्टी (परिशिष्ट–1 अनुसार) होगी।
   (ii) बस के दोनों तरफ **"राजस्थान लोक परिवहन सेवा"** सुस्पष्ट शब्दों में लिखा जायेगा एवं चालक खिडकी के नीचे तथा समानान्तर दूसरी ओर एवं बस के अग्र भाग में निर्धारित प्रतीक चिन्ह (LOGO) (परिशिष्ट–2 अनुसार) लगाया जायेगा।
4. मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 71, 72, 80(3) एवं 81 के अन्तर्गत एक या एक से अधिक अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित मार्गो हेतु जारी परमिट पर संचालित यात्री वाहन पर सभी शर्ते अधिसूचित मार्गो पर संचालित वाहनों के समान ही लागू होगी।
5. राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 5.19 (1) में यथा विनिर्दिष्ट समस्त शर्तो की पालना आवश्यक होगी।
6. समस्त यात्री वाहनों में परिवहन आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट विनिर्देशों के जी.पी.एस स्थापित किये जायेगें।

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार,
राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट–1

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर

---

परिशिष्ट–2

सदस्य
राज्य परिवहन प्राधिकार
राजस्थान, जयपुर